फर्द अहकाम

कार्यालयः— न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
अनवानः— इक्विटास स्मॉल फाईनेंस बनाम सुरेश चौधरी
किस्म मुकदमाः— सरफेसी प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः— 53/25

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।
	16.04.2025 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिभूत लेनदार एवं ऋणी/सह—ऋणी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा प्रार्थी/प्रतिभूत लेनदार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, इसलिए प्रार्थी/प्रतिभूत लेनदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रो करने का श्रम करावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी लेनदार एवं विपक्षी के मध्य लोक भावना से राजीनामा हो जाने से प्रार्थी लेनदार प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द किया जाता है। प्रकरण फेसल शुमार हो। बाद किताशुमारी दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) जिला कलक्टर उदयपुर	